सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 483 राँची ,शुक्रवार

4 आश्विन 1936 (श०)

26 सितम्बर, 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

22 सितम्बर, 2014

विषय: स्कीम संख्या-20510 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय, झारखण्ड के लिए 24-इकाई 'बी' टाईप स्टाफ क्वाटर के निर्माण हेतु हुडको से रूपये 5.27 करोड़ (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख) का ऋण आहरण करने की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-अर्थोपाय (30)-37/2014/ 355/बजट--भवन निर्माण विभाग द्वारा उच्च न्यायालय, झारखण्ड के लिए 24-इकाई 'बी' टाईप स्टाफ क्वाटर का निर्माण, योजना संख्या 20510 के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमि॰ हुडको से रूपये 5.27 करोड़ (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख) का व्यय ऋण आहरण से एवं शेष राशि का व्यय आंतरिक संसाधन से किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त ऋण राशि को हुडको से निम्न शर्तों के साथ आहरण करने का निर्णय लिया गया है:-

1. उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमि॰ (हुडको) के पत्र सं॰-HUDCO/RNRO/20510/2014/09, दिनांक 1 अप्रैल, 2014 के द्वारा रूपये 5.27 करोड़ (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख) का ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण की सामान्य एवं विशेष शर्तें ANNEXURE-A में अंकित है।

2. उक्त योजना का कुल Outlay रूपये 5.4531 करोड़ (पाँच करोड़ पैंतालीस लाख इक्कतीस हजार मात्र) का है, जिसके लिए हुडको से रूपये 5.27 करोड़ (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख) का ऋण आहरण किया जायेगा तथा शेष रूपये 18.31 लाख (अठारह लाख इक्कतीस हजार मात्र) राज्य के आंतरिक संसाधन से पूरा किया जायेगा।

3. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासी विभाग के राज्यादेश संख्या 231 (भ॰) दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रदान की गई है। योजना का कार्य प्रारम्भ है।

4. हुडको से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर हुडको से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा। ऋण की मूल राशि एवं इस पर देय ब्याज राशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान के विरूद्ध किया जायेगा।

5. भवन निर्माण विभाग संचालित योजना का अपनी Website पर प्रारम्भ से अधतन की स्थिति संधारित करेगा। PMGSY के पैटर्न पर Online Monitoring किया जायेगा।

6. चालू (On going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति भवन निर्माण विभाग द्वारा विभागीय Website पर Upload किया जायेगा।

7. भवन निर्माण विभाग गुणवत्ता का स्वतंत्र Evaluator से भी Monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी Website पर Upload किया जायेगा।

8. यह संकल्प विभागीय संलेख ज्ञापांक 332/बजट दिनांक 3 सितम्बर, 2014 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 4 सितम्बर, 2014 के मद सं॰-02 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 483–50 ।